न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 113 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 187

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जवानाराम पुत्र गोबरराम जाति भील निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.हनवंतसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 2.श्रीमति मांगी पत्नी बाबूजी जाति जाट निवासी डाउकियों की ढाणी कंटवाड़ा 3.धापूकंवर पत्नी आसूसिंह 4.नेनसिंह पुत्र बादरसिंह 5.हमीरसिंह पुत्र बादरसिंह 6.नारायणसिंह पुत्र ओबसिंह 7.भोपसिंह पुत्र ओबसिंह 8.हवाकंवर पत्नी ओबसिंह 9.अर्जूनसिंह पुत्र ओखसिंह 10.मगनकंवर पत्नि ओखसिंह 11.कलाकंवर पुत्री तनसिंह 12.डुंगरसिंह पुत्र तनसिंह 13.दुर्गसिंह पुत्र तनसिंह 14.दौलतसिंह पुत्र तनसिंह 15.मोहनकंवर पत्नि तनसिंह 16.किरणकंवर पत्नी अर्जुनसिंह 17.प्रतापसिंह पुत्र जोगसिंह 18.बुधसिंह पुत्र राणसिंह 19.वचनसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी घड़सी का बाड़ा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोंतरा [illegible]सिंह पुत्र पाबूसिंह जाति [illegible] निवासी सरवड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 21.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार कल्याणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3. विप्रार्थी संख्या 2 से 21 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 14/8/2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 02 से 21 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि को दबाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है,प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धड़सी का बाड़ा पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किए जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन मनगढत व झूठे तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया है,बल्कि प्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आए दिन विप्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही भी एकपक्षीय करवाई गई है,क्योकि विप्रार्थी को सीमाज्ञान कार्यवाही के समय सूचित भी नहीं किया। विवादित भूमि की यदि पैमाईश करने के आदेश दिए जाते है,तो स्थाई मुतकिल बिन्दू से होनी चाहिए,ताकि अदालत के सामने वास्तविक मौका स्थिति सामने आ सके। प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण के जरिए विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 13.3.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

Signature Not Verified

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय द्वारा इस ... पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत ... र्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धड़सी का बाड़ा पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 141/5 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि की स्थाई मुस्तकिल बिन्दू से सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिए सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.8.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:02 IST
Reason: SelfAttested